भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.689
06 फरवरी, 2024 को उत्तर देने के लिए

पी.एम.के एस.वाई.योजना का अवलोकन

689. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:
डॉ. जयंत कुमार राय:
सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और विकास के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, पीएम-किसान संपदा योजना चला रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और उद्यमियों से अब तक प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) योजना के प्रत्येक घटक के अंतर्गत अब तक हुई वास्तविक और वित्तीय प्रगति का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री-किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या कितनी हैं;

(ङ) 14 वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान पीएमकेएसवाई के लिए कितना बजट परिव्यय आवंटित किया गया है और इसे 15वें वित्त आयोग कार्यकाल में जारी रखा गया है; और

(च) प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत शुरू की गई नई योजनाओं और विद्यमान योजनाओं के पुनर्गठन की क्या विशिष्टताएं हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देशभर में 2017-18 से एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं अर्थात, (i) मेगा फूड पार्क, (ii) एकीकृत शीत श्रृखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (iii) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना- खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (iv) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन / विस्तार, (v) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, (vi) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (vii) मानव संसाधन और संस्थान और (viii) फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स का एक व्यापक पैकेज है । यह देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है, किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करता है, कृषि उपज की बर्बादी को कम करता है, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाता है और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाता है। .

(ख): पीएमकेएसवाई के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 2017-18 से 2023-24 (25.01.2024 तक) तक इस मंत्रालय द्वारा प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों (राज्य सरकारों और उद्यमियों) का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में है। पीएमकेएसवाई के तहत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए 04.10.2023 को एक नई अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई थी और इसके विरुद्ध 1332 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग): पीएमकेएसवाई के तहत 2017-18 से 2023-24 (25.01.2024 तक) 1115 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत, पूर्ण और परिचालित परियोजनाओं का वर्ष-वार/राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में है।

पीएमकेएसवाई एक मांग-संचालित योजना है, इसलिए धन का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। हालाँकि, पीएमकेएसवाई के तहत धनराशि का वर्ष-वार आवंटन और वास्तविक व्यय **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ): 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 1115 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 38,03,106 किसानों (महाराष्ट्र राज्य में 178 परियोजनाओं के 7,25,495 किसानों सहित) को लाभ होगा।

(ङ.): 14 वें वित्त आयोग चक्र के दौरान पीएमकेएसवाई के लिए वित्तीय परिव्यय 6000 करोड़ रुपये था और 15 वें वित्त आयोग चक्र के लिए यह 4600 करोड़ रुपये है।

(च): पीएमकेएसवाई में 2017-18 के दौरान शुरू की गई नई घटक योजनाएं थीं - (i) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, (ii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन /विस्तार, (iii) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन, (iv) ऑपरेशन ग्रीन्स और (v) मानव संसाधन संस्थान - कौशल विकास। बाद में पीएमकेएसवाई का पुनर्गठन किया गया और 15 वें वित्त आयोग चक्र के दौरान जारी रखने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स का दायरा बढ़ाया गया ।

ऑपरेशन ग्रीन्स (दीर्घकालिक हस्तक्षेप) मूल रूप से टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) फसलों पर लागू होता है, जिसे 22 जल्दी खराब होने वाली फसलों, आम, केला, सेब, अनानास, किन्नू / मंदारिन / संतरा, अंगूर, आंवला, अनार, अमरूद, लीची, टमाटर, प्याज, आलू, हरी मटर, गाजर, फूलगोभी, बीन्स, लौकी परिवार [बोतल लौकी (लोकी), करेला (करेला), तुरई / स्पंज लौकी (तोराई), परवल (परवल) और ऐश लौकी (पेठा)], भिंडी, लहसुन, अदरक और झींगा तक बढ़ा दिया गया है। परिणामस्वरूप, फल और सब्जी क्षेत्र को घटक योजना - एकीकृत शीत श्रृखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना से पीएमकेएसवाई की घटक योजना -ऑपरेशन ग्रीन्स में स्थानांतरित कर दिया गया है।

*****

अनुबंध- I

पीएमकेएसवाई योजना के अवलोकन" के संबंध में दिनांक 06.02.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 689 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- I

2017-18 से 2023-24 तक (25.01.2024 तक) एमओएफ़पीआई द्वारा (राज्य सरकारों और उद्यमियों से) प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	185	69
2.	असम	131	69
3.	बिहार	44	14
4.	छत्तीसगढ	79	5
5.	गोवा	6	2
6.	गुजरात	261	86
7.	हरियाणा	126	60
8.	हिमाचल प्रदेश	90	37
9.	जम्मू एवं कश्मीर	58	33
10.	झारखंड	1	0
11.	कर्नाटक	274	60
12.	केरल	90	33
13.	मध्य प्रदेश	157	45
14.	महाराष्ट्र	654	178
15.	ओडिशा	44	13
16.	पंजाब	112	46
17.	राजस्थान	174	46
18.	तमिलनाडु	227	98
19.	तेलंगाना	100	31
20.	उत्तर प्रदेश	217	76
21.	उत्तराखंड	77	42
22.	पश्चिम बंगाल	133	30
23.	अरुणाचल प्रदेश	28	7
24.	मणिपुर	63	5
25.	मेघालय	9	5
26.	मिजोरम	19	1
27.	नागालैंड	14	6
28.	त्रिपुरा	29	5
29.	सिक्किम	2	0
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	3
31.	चंडीगढ़	5	0
32.	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	4	1
33.	दिल्ली	35	7
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	3	2
36.	लद्दाख	0	0
	कुल	**3453**	**1115**

अनुबंध-।।

"पीएमकेएसवाई योजना के अवलोकन" के संबंध में दिनांक 06.02.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 689 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- II

वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक (25.01.2024 तक) पीएमकेएसवाई के तहत अनुमोदित, पूर्ण और परिचालित प्रस्तावों का राज्यवार/वर्षवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या																								
		2017-18			2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			कुल		
		अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित
1	आंध्र प्रदेश	4	3	1	10	6	4	3	2	1	16	7	9	0	0	0	31	0	31	5	0	5	69	18	51
2	असम	2	2	0	2	2	0	8	5	3	13	9	4	2	0	2	22	1	21	20	0	20	69	19	50
3	बिहार	1	1	0	1	0	1	3	2	1	1	0	1	0	0	0	5	0	5	3	0	3	14	3	11
4	छत्तीसगढ	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	5	2	3
5	गोवा	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1
6	गुजरात	12	11	1	22	20	2	16	11	5	15	8	7	0	0	0	20	3	17	1	0	1	86	53	33
7	हरियाणा	7	6	1	18	17	1	10	9	1	16	8	8	0	0	0	7	1	6	2	0	2	60	41	19
8	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	12	10	2	9	9	0	3	2	1	0	0	0	6	0	6	5	0	5	36	22	14
9	जम्मू एवं कश्मीर	2	2	0	16	16	0	7	2	5	6	3	3	0	0	0	1	0	1	1	0	1	33	23	10
10	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	8	7	1	18	18	0	9	8	1	13	7	6	0	0	0	7	1	6	5	0	5	60	41	19
12	केरल	3	3	0	6	6	0	7	6	1	9	4	5	0	0	0	8	0	8	0	0	0	33	19	14
13	मध्य प्रदेश	1	1	0	10	7	3	6	6	0	9	5	4	0	0	0	17	0	17	2	0	2	45	19	26
14	महाराष्ट्र	24	22	2	46	45	1	22	19	3	12	6	6	1	0	1	60	4	56	12	0	12	177	96	81
15	ओडिशा	2	2	0	1	1	0	2	2	0	1	0	1	0	0	0	7	0	7	0	0	0	13	5	8
16	पंजाब	10	9	1	12	10	2	6	3	3	5	2	3	0	0	0	13	0	13	1	0	1	47	24	23
17	राजस्थान	7	7	0	11	10	1	4	4	0	3	2	1	0	0	0	17	1	16	3	0	3	45	24	21
18	तमिलनाडु	20	20	0	18	17	1	11	6	5	23	10	13	2	0	2	16	0	16	8	0	8	98	53	45

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या																							
		2017-18			2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			कुल		
		अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित	अनुमोदित	पूर्ण	परिचालित
19	तेलंगाना	3	3	0	5	5	0	3	3	0	4	2	2	0	0	0	10	0	10	6	0	6	31	13	18
20	उत्तर प्रदेश	9	7	2	27	25	2	8	7	1	6	4	2	0	0	0	21	0	21	5	0	5	76	43	33
21	उत्तराखंड	10	10	0	5	5	0	6	4	2	8	4	4	0	0	0	9	1	8	3	0	3	41	24	17
22	पश्चिम बंगाल	1	1	0	5	5	0	9	7	2	4	2	2	0	0	0	8	0	8	3	0	3	30	15	15
23	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	1	0	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	7	2	5
24	मणिपुर	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	6	2	4
25	मेघालय	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	1
26	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
27	नागालैंड	3	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6	1	5
28	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	4	1
29	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
33	दिल्ली	0	0	0	2	2	0	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	5	2
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
36	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**132**	**121**	**11**	**252**	**229**	**23**	**164**	**127**	**37**	**174**	**87**	**87**	**7**	**0**	**7**	**293**	**13**	**280**	**90**	**0**	**90**	**1115**	**579**	**536**

अनुबंध-III

"पीएमकेएसवाई योजना के अवलोकन" के संबंध में दिनांक 06.02.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 689 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

2017-18 से 2023-24 तक (25.01.2024 तक) पीएमकेएसवाई के तहत वर्ष-वार/घटक योजना-वार निधि आवंटन और वास्तविक व्यय

क्र.सं.	पीएमकेएसवाई की घटक योजना	₹ करोड़ में		
		वित्तीय वर्ष	निधि आवंटित	वास्तविक व्यय
1.	मेगा फूड पार्क (एमएफपी)	2017-18	298.56	296.72
		2018-19	182.86	181.47
		2019-20	140.00	106.73
		2020-21	61.85	61.87
		2021-22	54.37	52.59
		2022-23	24.80	22.14
		2023-24 (25.01.2024 तक)	17.88	4.20
		कुल	**780.32**	**725.72**
2.	एकीकृत शीत श्रृखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन)	2017-18	198.68	196.15
		2018-19	271.59	244.74
		2019-20	326.16	271.12
		2020-21	252.70	207.41
		2021-22	263.00	225.31
		2022-23	222.34	203.06
		2023-24 (25.01.2024 तक)	196.50	109.35
		कुल	**1730.97**	**1457.14**
3.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना (एपीसी)	2017-18	0.00	0.00
		2018-19	30.00	22.65
		2019-20	50.14	43.83
		2020-21	56.69	48.47
		2021-22	53.90	49.08
		2022-23	56.55	46.82
		2023-24 (25.01.2024 तक)	63.52	35.63
		कुल	**310.80**	**246.48**
4.	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन / विस्तार (सीईएफपीपीसी)	2017-18	21.18	11.31
		2018-19	90.00	74.85
		2019-20		
		2020-21	219.30	202.84
		2021-22	242.50	238.08
		2022-23	219.68	171.30

		2023-24 (25.01.2024 तक)	275.12	118.25
		कुल	**1270.30**	**988.41**
5.	खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफटीएल)	2017-18	20.00	20.00
		2018-19	25.00	16.80
		2019-20	202.52	171.78
		2020-21	36.83	29.00
		2021-22	46.70	34.25
		2022-23	33.80	18.73
		2023-24 (25.01.2024 तक)	23.20	4.56
		कुल	**225.53**	**150.33**
6.	ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी)	2017-18	योजना नवंबर, 2018 में शुरू होगी	
		2018-19	200.00	5.50
		2019-20	30.03	2.85
		2020-21	38.22	38.21
		2021-22	74.50	68.15
		2022-23	74.49	71.05
		2023-24 (25.01.2024 तक)	155.35	31.74
		कुल	**572.59**	**217.50**
7.	बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (सीबीएफएल)	2017-18	0.00	0.00
		2018-19	18.80	11.50
		2019-20	50.46	42.92
		2020-21	56.60	54.42
		2021-22	40.79	32.98
		2022-23	18.78	9.36
		2023-24 (25.01.2024 तक)	10.83	0.50
		कुल	**196.26**	**151.68**
8.	मानव संसाधन एवं संस्थान	2017-18	71.53	55.98
		2018-19	29.94	24.06
		2019-20	40.00	26.99
		2020-21	23.03	20.36
		2021-22	15.14	13.03
		2022-23	22.36	20.49
		2023-24 (25.01.2024 तक)	2.40	0.26
		कुल	**196.47**	**155.94**